राज्यपाल सचिवालय,उत्तर प्रदेश
लखनऊ-२२६०२७

संख्या-ई.सं./ 5428 /जी.एस.
दिनांक 5/10/ २००४

प्रेषक,

श्री राज्यपाल/कुलाधिपति के विशेष सचिव
उत्तर प्रदेश।

सेवा में,

कुलसचिव,
दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय,
गोरखपुर

महोदय,

आपके पत्र संख्या-६१७०-७१/सम्बद्धता/२००४ दिनांक २२.६.२००४ के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ कि महामहिम कुलाधिपति महोदय ने उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम,१९७३ की धारा ३७(२) के अधीन किसान एल.टी..प्रशिक्षण महाविद्यालय,बस्ती को स्नातक स्तर पर शिक्षा संकाय के अन्तर्गत बी.एड.पाठ्यक्रम में स्ववित्त पोषित योजनान्तर्गत निम्नलिखित शर्तों के अधीन दिनांक १.७.२००४ से सम्बद्धता की स्वीकृति सहर्ष प्रदान कर दी है :-

१ संस्था राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा निर्धारित समस्त मानकों को पूर्ण तथा उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित करेगी एवं परिषद द्वारा निर्धारित समस्त शर्तों का अनुपालन करेगी।

२. संस्था उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी शासनादेश संख्या - २८५१/सत्तर-२-२००३-१५(६२)/२००२, दिनांक २ जुलाई, ०३ में उल्लिखित दिशा-निर्देशों एवं समय-समय पर इस विषय में निर्गत शासनादेशों का पालन करेगी।

३. यदि संस्था द्वारा विश्वविद्यालय की परिनियमावली में वर्णित तथा शासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित शर्तों एवं मानकों की पूर्णता एवं उनकी निरन्तरता को सुनिश्चित नहीं किया जायेगा तो उ०प्र०राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत संस्था को प्रदान की गई सम्बद्धता वापस लिए जाने की कार्यवाही नियमानुसार की जायेगी।

भवदीय,

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

१. सचिव,उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग,उ०प्र०१८-ए,न्याय मार्ग,इलाहाबाद।
२. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग लखनऊ।
३. निदेशक,उच्च शिक्षा,उच्च शिक्षा निदेशालय,इलाहाबाद
४. प्राचार्य, किसान एल.टी..प्रशिक्षण महाविद्यालय,बस्ती
५. क्षेत्रीय निदेशक,राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद,उत्तर क्षेत्रीय समिति,४६ ए,तिलक नगर,शान्ति पथ,जयपुर

(राकेश कुमार ओझा)
कुलाधिपति के विशेष सचिव